

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 59/2023 प्रत्यक्ष स्थानांतरण उन्वान - विनोद वनाभ नरेश कुमार कोय	नम्बर व तारीख हकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
1-12-23	आज्ञा पीएससी अधिकारी महोदय राज कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से यत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 11-12-23 को पेश की।	
11-12-23	आज्ञा पीएससी अधिकारी महोदय राज कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से यत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 11-12-23 को पेश की।	
8-1-24	आज्ञा पीएससी अधिकारी महोदय राज कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से यत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 12-1-24 को पेश की।	
12-1-24	आज्ञा पीएससी अधिकारी महोदय राज कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से यत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 19-1-24 को पेश की।	
19-1-24	आज्ञा पीएससी अधिकारी महोदय राज कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से यत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 23-1-24 को पेश की।	
23-1-24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रवीं एवं प्रवीं के बार-बार आवान लगाई गई। किन्तु अधिवक्ता प्रवीं अथवा प्रवीं के से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इससे प्रतीत होता है कि प्रवीं विचारधीन प्रार्थना पर स्थानांतरण में आगे नहीं चलाना चाहता है।</p> <p>पत्रावली का अन्तिम क्रियागमा विचारधीन प्रार्थना पर स्थानांतरण की संकेत कुमारमीना विचारधीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिवक्ता</p> <p>नरेश कुमार कोय</p>	




नरेश कुमार कोय  
जिला कलक्टर  
दौसा



सिम्हराज के विरुद्ध पेश किया गया है।  
भीतानी अधिकारी की शिकायत द्वारा भीतानी  
का स्थानांतरण हो चुका है। इसलिये जायदा  
पत्र स्थानांतरण इसी स्तर पर खारिज किये  
जाने योग्य है।

दरतः न्यायालय उपजिला कलक्टर  
सिम्हराज में विचारधीन मुद्दा नंबर  
69/2023 दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं  
जायदा पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सं 59/2023  
उन्वान वृजमोहन वर्गोय बनाम नरेश कुमार  
वर्गो का अन्तःसक्षम न्यायालय में स्थानांतरण  
करने हेतु प्राची विनोद मुत्त विबोरजाति  
बैरवा निवासी रैय तहसील सिम्हराज जिला  
दौसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्राचीन  
पत्र स्थानांतरण अदम दायरी एवं अदम पेशी  
में खारिज किया जाता है। निवेद की उक्ति  
अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर सिम्हराज  
की निजवाइ जाके। पंजावली फेसल कुमार की  
जाकर नम्बर से कमु हो एवं बाद पूर्ण उक्ति  
लेख मण्डार की जाके निवेदु आज दिनांक  
23-1-2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

  
नरेश बुनकर  
अति. जिला कलक्टर  
दौसा (राज.)

